दिनांक08 अप्रैल,2023 को सूडा मुख्यालय में प्रमुख सचिव,नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित मुख्य योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव,नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मेंदिनांक 08–अप्रैल,2023 को आहुत बैठक में समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारियों, के साथसूडा द्वारा संचालित योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पी.एम.स्वनिधि,मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनाएवं एस.सी.एस.पी.योजना की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी।

(क)सामान्य निर्देश–

1.दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को अभिनव प्रयोगों से जोड़ने के लिए महिलाओं के समूहों को नगरीय निकायों के सभी कार्यालयों में 'दीदी कैफे' का कार्य करवाया जाये जिससे कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को मिशन मोड में चलाते हुए और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऐसा ईको सिस्टम बनाना है, जहां शहरी गरीब समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकें, साथ ही स्वच्छ भोज्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इस सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी, जनपद वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि हाल ही में दीदी कैफे का संचालन प्रारम्भ किया गया है,जिस पर निर्देश दिये गये कि परियोजना अधिकारी, डूडा वाराणसी से कैन्टीन के अनुभव के आधार पर Concept Note प्राप्त कर सभी परियोजना अधिकारियों से शेयर किया जाये तथा इसे किस प्रकार सतत् कियाशील एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए इसे ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया जाए।

2. स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करते हुए प्रथम चरण में नगर निगम वाले एवं बड़े जनपदों में दीदी कैफे का शुभारम्भ किया जाये। इस हेतु प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में महिला समूहों द्वारा विभिन्न अभिनव प्रयोगों द्वारा अत्मनिर्भरता प्राप्त की है। ऐसे राज्यों के इन समूहों के कार्यों को देखने हेतु मथुरा, फिरोजाबाद एवं वाराणसी के साथ ही 02 अन्य जनपदों के परियोजना अधिकारियों एवं सूडा मुख्यालय स्तर से 01 अधिकारी को निदेशक सूडा नामित कर वहां के सफल प्रयासों का अध्ययन करा लें। अध्ययन के उपरान्त तद्नुसार प्रदेश के लिए प्रस्ताव तैयार करायें, जिससे प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

3. पी0एम0स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स्के साथ उनके ठेले (कार्ट) के साथ प्रत्येक परियोजना अधिकारियों को प्रतिदिन 10–10 सेल्फी खींचकर मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही समस्त परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए लाभार्थियों के ऋण स्वीकृति हेतु बैंक से समन्वय स्थापित कर तत्काल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऋण वितरित करवाना सुनिश्चित् करें। प्रत्येक परियोजना अधिकारी द्वारा स्वयं डिजीटल ट्रान्जेक्शन करके सभी लाभार्थियों को प्रेरित किया जाये।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्तापूर्वक कार्य करते हुए प्रदेश को पूर्व की भांति इस बार भी पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। अवगत कराया गया कि शीघ्र ही 100 डे चैलेन्ज प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके अंतर्गत मिशन मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सभी आवासों को पूर्ण कराना होगा, जिससे कि प्रदेश एवं जनपदों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा सके।

5. सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न फाइल करने के निर्देश दिये गये।

(ख)योजनावार समीक्षा–

A–<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)</u>–

1. प्रथम लेवल जियोटैग के सापेक्ष प्रथम किस्त भुगतान के सम्बन्ध में 05 न्यूनतम प्रगति वाले जनपद यथा–बुलन्दशहर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, बागपत एवं कम प्रगति वाले जनपदों को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त स्टाफ लगा कर कार्य की गति बढाते हुए शीघ्रजियोटैग कराते हुए प्रथम किस्त का भुगतान करायें।
2. 65 वीं सी0एस0एम0सी0बैठक तक स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम लेवल जियोटैग की समीक्षा में 05 न्यून प्रगति वाले जनपदों–गोरखपुर, इटावा, बुलन्दशहर, कौशम्बी, प्रयागराज एवं कम प्रगति वाले अन्य जनपदों को निर्देश दिये गये कि विशेष प्रयास कर कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए।
3. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत (शहरी) के अर्न्तगत व्यय की गयी धनराशि के विरूद्व जनपदों द्वारा सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी, जिसमें 05 खराब प्रगति वाले जनपद यथा–महोबा, मथुरा, बस्ती, बुलन्दशहर, बिजनौर एवं अन्य कम प्रगति वाले जनपदों को विशेष प्रयास कर शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
4. दिनांक 01 मार्च, 2023 तक अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के विरूद्व लम्बित द्वितीय लेवल जियोटैग की भी समीक्षा की गयी, जिसमें 05 खराब जनपद यथा–मथुरा, बाराबंकी, महराजगंज, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर के अतिरिक्त अन्य कम प्रगति वाले जनपदों को भी अतिरिक्त स्टाफ लगाकर कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने में निर्देश दिये गये है।
5. दिनांक 01 फरवरी, 2023 तक निर्गत किये गये द्वितीय किश्त के भुगतान के विरूद्व लम्बितरूफ लेवल जियोटैगकी भी समीक्षा की गयी, जिसमें महराजगंज, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, सिद्वार्थनगर की प्रगति न्यूनतम पायी गयी जिसके कम में निर्देशित किया गया है कि शीघ्र प्रगति में सुधार लाया जाये।
6. योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर लम्बित नयी डी0पी0आर0 की भी समीक्षा की गयी जिसमें 18 जनपदों–अमरोहा, बांदा, बस्ती, चित्रकूट, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर–खीरी, मुजफफरनगर, रामपुर एवं संतकबीरनगर को शीघ्र डी0पी0आर0 तैयार करके प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
7. 56वीं सी0एस0एम0सी0 (दिनांक 23.11.2021) के सापेक्ष लम्बित करटेलमेन्ट डी0पी0आर0 की भी समीक्षा की गयी, जिसके अर्न्तगत जनपद बस्ती, संतकबीरनगर, औरैया, महोबा, शाहजहांपुर, बलरामपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, महराजगंज, मेरठ को उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)**

B–पी0एम0 स्वनिधि–

1. पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत प्रथम ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें न्यूनतम प्रगति वाले05 नगर निगम जनपद यथा–गाजियाबाद, अलीगढ, अयोध्या, आगरा, सहारनपुर को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रगति में सुधार लाएं साथ ही सर्वाधिक प्रगति वाले 05 नगर निगम वाले जनपद यथा–वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, फिरोजाबाद की अच्छी प्रगति हेतु प्रशंसा की गयी।इसी प्रकार गैर नगर निगम वाले 05 जनपद यथा–सिद्वार्थनगर, चन्दौली, प्रतापगढ, बलिया, गौतमबुद्वनगर को न्यूनतम प्रगति होने के कारण प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

2. द्वितीय ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद यथा–अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रगति में सुधार लाएं, साथ ही सर्वाधिक प्रगति वाले 05 नगर निगम वाले जनपद यथा–लखनऊ, झांसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी की अच्छी प्रगति हेतु प्रशंसा की गयी। इसी प्रकार गैर नगर निगम वाले 05 जनपद यथा–सोनभद्र, चन्दौली, सिद्वार्थनगर बस्ती, आजमगढ को न्यूनतम प्रगति होने के कारण प्रगति में शीघ्र अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

3. तृतीय ऋण वितरण में न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद यथा–मथुरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज, गोरखपुर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रगति में सुधार लाएं, साथ ही गैर नगर निगम वाले 05 जनपद यथा–ललितपुर, गोण्डा, हापुड, संतकबीरनगर, अमरोहा को न्यूनतम प्रगति होने के कारण प्रगति में शीघ्र अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

4. डिजिटली एक्टिव वेन्डर्स की समीक्षा की गयी जिसमें न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम वाले जनपद यथा–कानपुर नगर, अलीगढ, आगरा, गोरखपुर, मथुरा साथ ही गैर नगर निगम/न्यूनतम प्रगति वाले जनपद यथा–हाथरस, श्रावस्ती, महोबा, ललितपुर, मैनपुरी को विशेष प्रयास कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

5. पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत डिजिटल लेन–देन की समीक्षा की गयी, जिसमें न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम वाले जनपद यथा–फिरोजाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, बरेलीके साथ ही गैर नगर निगम/न्यूनतम प्रगति वाले जनपद यथा–पीलीभीत, चन्दौली, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, लखीमपुर–खीरी को विशेष प्रयास कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

6. पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत स्वनिधि से समृद्वि–फैमिली प्रोफाइलिंग की समीक्षा की गयी, जिसमें न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम वाले जनपद यथा–कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ, फिरोजाबाद साथ ही गैर नगर निगम/न्यूनतम प्रगति वाले जनपद यथा–रामपुर, इटावा, फतेहपुर को विशेष प्रयास कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

7. समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सभी परियोजना अधिकारी अपने जनपद के 10 वेन्डर्स के साथ फोटो (सेल्फी) खिचवाकर 03 दिवस में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

➢ प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पी0एम0स्वनिधि योजना में खराब प्रगति के दृष्टिगत जनपद–चन्दौली के परियोजना अधिकारी को नियमानुसार उनके मूल विभाग वापिस करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त पी0एम0 स्वनिधि योजना में संतोषजनक प्रगति न होने के कारण जनपद– लखीमपुर खीरी, फर्रूखाबाद, जौनपुर, उन्नाव, औरैया, बिजनौर एवं बलरामपुर के परियोजना अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

जनपद–औरैया के परियोजना अधिकारी के अवसादग्रस्त होने के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए।

C–<u>दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM)</u>

<u>सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (SM&ID)-</u>

1. उपघटक के अर्न्तगत समूह गठन हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद–सहारनपुर, अलीगढ, मेरठ, फिरोजाबाद, झांसी तथा गैर नगर निगम वाले 05 जनपदो में जनपद–महोबा, गाजीपुर, आजमगढ, मऊनाथ भंजन, हमीरपुर को प्रगति में यथा–आवश्यक कार्यवाही कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।
2. स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फण्ड (आर0एफ0)अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं शाहजहांपुर तथा गैर नगर निगम वाले 05 जनपदों में सम्भल, मुजफफरनगर, बलिया, फतेहपुर, अमरोहा को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

<u>शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना(SUH)-</u>

जनपद हरदोई एवं गोरखपुर में शेल्टर होम हेतु भूमि चयन में आ रहे विवाद का मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी से अनुरोध कर शीघ्र निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिये गये।

<u>स्वरोजगार कार्यक्रम(SEP)–</u>

1. व्यक्तिगत ऋण में न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद– सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर तथा गैर नगर निगम वाले 05 जनपदों मे बदायूं, बस्ती, बुलन्दशहर गाजीपुर, गोण्डा को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

2. स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहो का बैक लिंकेज की समीक्षा की गयी जिसमे न्यूनतम प्रगति वाले 05 नगर निगम जनपद सहारनपुर, अयोध्या, झासी, फिरोजाबाद, गोररखपुर तथा गैर नगर निगम वाले 05 जनपदों में चन्दौली हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, सुल्तानपुर को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण(CB&T)–

अवगत कराया गया है कि सभी सी0एम0एम0, सी0ओ0 की निरन्तरता उनके परफारमेन्स रिपोर्ट के आधार पर ही बढायी जायेगी, इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

D–मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना–

निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद द्वितीय किश्त की धनराशि की मांग में यदि कोई कठिनाई आ रही है तोतत्काल अवगत कराएं।

निर्देश दिये गये कि नया प्रस्ताव तैयार कराते समय यह सुनिश्चित कर किया जाय कि उक्त कार्य की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में न की जाय, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होगा।

यह भी निर्देश दिये गये कि स्थल के फोटोग्राफ सुस्पष्ट हो, अस्पष्ट फोटोग्राफ किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

E–वित्त एवं लेखाप्रभाग सम्बन्धी प्रकरण–

1. अवगत कराया गया कि जनपद–रामपुर, मुजफफरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, जौनपुर, बरेली व मऊ की ए0जी0 पैरा की रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को अभी तक प्राप्त नही हुई है। अतः उक्त रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. यह भी अवगत कराया गयाकि अनेक जनपदों से प्रशासनिक मद की यू0सी0प्राप्त नहीं हुयी है, उक्त के सम्बन्ध में तत्काल यू0सी0 उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, यह भी अवगत कराया गया कि यू0सी0 उपलब्ध कराने के पश्चात् ही जनपदों को प्रशासनिक मद की धनराशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

अन्तमें बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(आनन्द कुमार शुक्ला)
अपर निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 372 /110/तीन/97 Vol-VII **दिनांक–** 01-05-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइटwww.sudaup.orgपर अपलोड करने हेतु।

1/5/23
(आनन्द कुमार शुक्ला)
अपरनिदेशक